न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कोटकासिम (अलवर)

प्रार्थनापत्र सं. 231/12

देवेन्द्र बनाम तुलाराम

28/10/15 प्रार्थी मय वकील उप० प्रार्थनापत्र आ०39 नि०1 व 2 सी.पी.सी. के तहत पेश किया। बहस एक पक्षीय सुनी गई। पत्रावली एवं संलग्न दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। पत्रावली एवं संलग्न दस्तावेजात के अवलोकन से प्रार्थी का केस प्राईमाफेसाई, सुविधा का सन्तुलन एवं नापूर्ति होने वाली क्षति की सम्भावना प्रार्थी के हक में प्रतीत होती है। अतः अस्थाई निषेधाज्ञा विरुद्ध अप्रार्थीगण आगामी पेशी दिनांक 16/11/15 तक इस आशय से जारी की जाती है कि विवादित आराजी ख०नं० 1608 में कृषि कनेक्शन 11 हजार की लाईन खींचकर नहीं करे, ना ही पोल गाड़े, ना ही प्रार्थी व तर०ग्रति के कब्जा काश्त में मजाहमत व मदाखलत पैदा करे, मौका की यथास्थिति कायम रखे। जो भी उज्र हो हाजिर अदालत होकर पेश करे। अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया जावे। प्रार्थनापत्र दर्ज रजिस्टर किया जावे। आइन्दा पत्रावली दिनांक 16/11/15 को पेश हो।

उपखण्ड अधिकारी
कोटकासिम (अलवर)

05/11/15 प्रा.पत्र छोटी पेशी स्वीकार (देवेन्द्र वगैरह) अत: पेशी पूर्व वापस मंगवायी व अप्रा. दिनांक 9-11-15 को पेश हो।

9/11/15 अप्रार्थी — का जवाब प्रा.पत्र. पर आया। वास्ते बहस पत्रावली/प्रार्थना पत्र. दिनांक 16-11-15 को पेश हो P.O. अवकाश पर हैं।

16/11/15

Scanned by CamScanner

हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल पी. ओ.

देवेन्द्र बनाम - गुलाबराम

20/11/15 वास्ते बहस प्रा.पत्र पत्रावली दिनांक 23-11-15 को पेश हो। तब तक T.P. की अवधि बढ़ाई जाती है। प्रार्थी व अप्रार्थी उपस्थित हस्ता. अपठनीय

23/11/15 बहस प्रा.पत्र सुनी गई। वास्ते आदेश प्रा.पत्र पत्रा. दिनांक 7-12-15 को पेश हो। तब तक T.P. की अवधि बढ़ाई जाती है।

7/12/15 वास्ते आदेश प्रा.पत्र पत्रा. दिनांक 17-12-15 को पेश हो। तब तक T.P. की अवधि बढ़ाई जाती है।

17/12/15 बमुजब आदेश उपरलिखा प्रार्थी का प्रा.पत्र स्वीकार किया जाता है। विस्तृत निर्णय अलग से लिखाया जाकर प्रा.पत्रा. कार्यवाही बाद तकमील निर्णय से शामिल पत्रा. दाखिल दफ्तर की जावे।

उप खण्ड अधिकारी
[illegible] (...)

Scanned by CamScanner

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कोटकासिम जिला अलवर राज0

पीठासीन अधिकारी :– बलवन्तसिंह लिग्री आर.ए.एस

राजस्व प्रार्थनापत्र सं0	दायरा दिनांक	निर्णय दिनांक
231 / 2015	12 / 10 / 2015	17.12.15

उनवान

1. देवेन्द्र पुत्र चिम्मनलाल जाति अहीर ग्राम जौडिया तहसील कोटकासिम (अलवर)
:– प्रार्थी / वादी

बनाम

1. तुलाराम पुत्र प्यारेलाल जाति अहीर ग्राम जौडिया तह0 कोटकासिम
2. सहायक अभियन्ता जयपुर विधुत वितरण निगम लिमिटेड शाखा कोटकासिम
3. कनिष्ठ अभियन्ता जयपुर विधुत वितरण निगम लिमिटेड शाखा कोटकासिम तह0 कोटकासिम जिला अलवर राज0।

:– असल अप्रार्थीगण

दावा हुकमइम्तनाईदवामी।
प्रार्थनापत्र अंतर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी
अधिनियम 1955, आदेश 39 नियम 1 व 2
व सपठित धारा 151 जाप्ता दीवानी

उपस्थित :–

1. श्री सूबेसिंह यादव अधिवक्ता प्रार्थी
2. श्री दुलीचन्दयादव अधिवक्ता अप्रार्थी

निर्णय

प्रार्थी द्वारा एक प्रार्थनापत्र अंतर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, आदेश 39 नियम 1 व 2 व सपठित धारा 151 जाप्ता दीवानी इस न्यायालय में पेश किया कि प्रस्तुत वादपत्र, शपथपत्र एवं दस्तावेजात से वादी / प्रार्थी का केस प्राईमाफेसाई आयद वो साबित होता है। उपरोक्त अनुवानी वाद प्रार्थी ने विस्तृत तथ्यों सहित अदालत श्रीमान के समक्ष पेश किया है जिसमे

उप खण्ड अधिकारी
कोटकासिम (अलवर)

Scanned by CamScanner

मिन प्रार्थी को कामयाबी मिलने की पूरी – पूरी उम्मीद है। विवादित आराजीयात मिन प्रार्थी व तरतीबी प्रतिवादीगन की खातेदार कब्जा काश्त की आराजीयात है जिस पर काबिज व दखिल होकर काश्त करते चले आरहे है। मिन प्रार्थी ने अपनी विवादित आराजी में विधुत सम् बंध विधुत विभाग कोटकासिम से पूर्वी डोल पर डी0 पी.0 स्थापित करवाकर ले रखा है। मिन प्रार्थी ने विवादित आराजी खसरा न0 1653 मे सरसों की फसल काश्त की हुई है आराजी खसरा नं0 1653 में जो डी पी स्थापित है उससे असल अप्रार्थी सं0 2 व 3 अप्रार्थी सं0 1 को उसकी आराजी खसरा सं0 1608 मे कनैक्शन देना चाहते हैं। जबकि प्रार्थी व तर0 प्रति ने अपने विद्युत सम्बन्ध ले रखा है व बोरिंग कर रखी है। उसके उपर से 11 हजार के. वी. की विद्युत लाईन खींच कर असल अप्रार्थी 2 व 3 तथा अप्रार्थी सं0 1 को उसकी आराजी खसरा नम्बर 1608 में कनेक्शन देना चाहते हैं। उसने तरफ दक्षिण दिशा मे बोरिंग कर रखी है उसे तरफ दक्षिण दिशा में से विधुत सम्बंध लेने मे सुविधा होगी व डोल पर से पोल आ सकते है जिसमे किसी को कोई ऐतराज / आपत्ती नही है असल अप्रार्थीगन स0 2, 3 ने कोई सर्वे नही किया। यदि सर्वे किया भी हो तो मिन प्रार्थी के पीछे से किया गया। जबकि मिन प्रार्थी ने अपनी विवादित आराजी मे कृषि कार्य के लिये पशुओं के लिये मकान व चारा भरने के लिये बोंगा वगैरा बना रखा है यदि यहां से 11 हजार की विधुत लाईन खींचकर अप्रार्थी स0 1 को कनैक्शन जारी किया गया तो मिन प्रार्थी व तर0 प्रति0 को व आमजन कोई भी हादसा का शिकार हो सकता है। जान माल की हानि हो सकती है। दिनांक 11.10.2015 को असल अप्रार्थीगणो ने पोल ले जाकर रख दिये और धमकियां दी कि तुम्हारी बोरिंग के उपर से विवादित आराजियात के बीचों बीच 11 हजार की विद्युत लाईन खींचेंगे और कनैक्शन जारी करेंगें। यदि अप्रार्थीगण अपने इस नापाक इरादों में कामयाब हो गये तो मिन प्रार्थी को अपूरणीय क्षति होगी जिसकी पूर्ति किसी भी सूरत में रुपयों में नहीं आंकी जा सकेगी। इसलिये मिन प्रार्थी असल अप्रार्थी को जरिये हुक्मईम्तनाई चन्रोजा से पांबद करवाने का अधिकारी है। सुविधा का संतुलन व नापूर्ति होने वाली क्षति बहक मिन प्रार्थी हैं। अतः प्रार्थनापत्र पेश कर निवेदन है कि असल अप्रार्थीगण को जरिये हुक्मईम्तनाई चन्दरोजा से पाबन्द फरमाया जावे कि वो विवादित आराजियात हाल खसरा नम्बरान 1609/1/1–13, 1653/2–05 बीघा वाके ग्राम जौडिया तह. कोटकासिम जिला अलवर (राज.) के बीचों बीच में से अप्रार्थीगण सं. 2 व 3 , अप्रार्थी सं. 1 को उसकी आराजी खसरा नम्बर 1608 में कृषि कनैक्शन 11 हजार की लाईन खींचकर नहीं करे, ना ही पोल गाडे, ना ही प्रार्थी व तर. प्रति. के कब्जा काश्त में मजाहमत व मदाखलत पैदा करे, ना जबरन बेदखल करे, ना कब्जा करे, मौका की यथास्थिति कायम रखे।

प्रार्थनापत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थीगण को जर्ये नोटिस सुनवाई का अवसर दिया गया।

उप खण्ड अधिकारी
कोटकासिम (अलवर)

Scanned by CamScanner

जबाब प्रार्थनापत्र अप्रार्थी स0 1 तुलाराम की ओर से पेश किया कि प्रार्थी को उक्त अनुवानी वाद मे कामयाबी की कतई भी उम्मीद नही करनी चाहिये। प्रार्थनापत्र में प्रार्थी ने गलत तथ्य दर्ज कर झूंठा वादपत्र व झूंठा शपथपत्र एंवम दस्तावेजात पेश किये हैं जिनसे प्रार्थी का केस किसी भी सूरत मे प्राइमाफेसाई आयद व साबित नही होता है। जब मिन अप्रार्थी को विधुत सम्बंध दिया जा रहा था व पोल गाडकर तार खींचे जा रहे थे तब कोई फसल काश्त की हुई नहीं थी। डी. पी. से विद्युत सम्बन्ध देने का अप्रार्थी सं. 2 को अधिकार है। पहले जो सर्वे रिपोर्ट तैयार की गई थी। उसी अनुसार पोल खडे किये गये हैं। जहां से लाइन खींची जा रही है वहां पर प्रार्थी का कोई विद्युत सम्बन्ध व बोरिंग नहीं हैं बोरिंग के उपर से कोई विद्युत लाईन नहीं खींची जानी है। मिन अप्रार्थी के खसरा सं. 1608 में स्थित बोरिंग पर तरफ दक्षिण से लाइन खडी करके विद्युत सम्बन्ध किया जाना सम्भव नहीं है क्योंकि तरफ दक्षिण में कई लोंगों के आवासीय मकान है। जिनमें रिहायश की हुई है उधर से लाईन खेंचने से किसी हादसे से जन–धन की हानि होने का पूरा पूरा अदेंशा है। प्रार्थी की आराजी उत्तर – दक्षिण लम्बाई में है तथा पूर्व – पश्चिम चौडाई है पोल जो खडे किये गये हैं वो पूर्व से पश्चिम को खडे किये गये हैं। प्रार्थी के खेत मे कोई पोल भी खडा नही किया गया है अप्रार्थी सं. 2, 3 द्वारा सर्वे रिपोर्ट के अनुसार ही लाईन खडी की गई है। सर्वे रिपोर्ट का नक्शा व मौके की स्थिति का नक्शा जवाबदावा के साथ पेश किया है। मौके पर पशुओं के लिये मकान व चारा भरने के लिये कोई बोगा पूरे खेत में नहीं है। अलबत्ता रिहायशी पक्का मकान अवश्य है जो प्रस्तावित लाईन व खडे किये गये पोलो से कम से कम 60 फुट की दूरी पर है। दक्षिण से विद्युत सम्बन्ध दिया जाना संभव नहीं है क्योंकि उधर लोगों की आबादी है। ना तो बोरिंग के उपर से और ना ही प्रार्थी की आराजियात के बीचों–बीच से 11 हजार के. वी. की लाईन खींची जानी है। प्रार्थी द्वारा मिथ्या व मनगढन्त तथ्य दर्ज किये गये हैं। प्रस्तावित विधुत लाईन से प्रार्थी व तर0 प्रतिवादीगन को किसी भी प्रकार से क्षति होने का अंदेशा नही है प्रार्थी मिन अप्रार्थी व अप्रार्थीस0 2, 3 के खिलाफ किसी भी प्रकार से स्थाई निषेध आज्ञा प्राप्त करने का अधिकारी नही है। प्रार्थी का प्रार्थनापत्र काबिल खारिज है खारिज फरमाया जावे। सुविधा का संुतुलन व नापूर्ति होने वाली क्षति बहक मिन अप्रार्थी है। अतः प्रार्थना गलत है अस्वीकार है प्रार्थनापत्र शुद्ध हस्तो से पेश नही किया गया है। प्रस्तावित विधुत लाईन से प्रार्थी या तर0 प्रतिवादीगन या अन्य किसी को भी कोई हानि नही होती है बल्कि किसी को भी सिवाय मिन अप्रार्थी के कोई असुविधा नही होगी । विधुत सम्बंध जारी होने में हो रही देरी से मिन अप्रार्थी को भारी नुकसान हो रहा है । मिन अप्रार्थी शुद्ध काश्तकार पेशा आदमी है। यदि सिंचाई करके समय

उप खण्ड अधिकारी
लक्ष्मणगढ़ (अलवर)

Scanned by CamScanner

पर बिजाई नहीं कर पाया तो परिवार के भूखे मरने की नौबत आ जायेगी। अतः जबाब प्रार्थनापत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थी का प्रार्थनापत्र मय हर्जा– खर्चा खारिज फरमाया जावे।

उभय पक्षकारान के विद्वान अधिवक्तागण की बहस सुनी गई।

प्रार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने अपनी बहस में कथन किया कि वादी/प्रार्थी का केस प्राईमाफेसाई आयद वो साबित नहीं है। विवादित आराजीयात मिन प्रार्थी व तरतीबी प्रतिवादीगन की खातेदार कब्जा काश्त की आराजीयात है जिस पर काबिज व दखिल होकर काश्त करते चले आरहे है। मिन प्रार्थी ने अपनी विवादित आराजी में विधुत सम्बंध पूर्वी डोल पर ले रखा है। मिन प्रार्थी ने खसरा न0 1653 मे सरसो की फसल काश्त की हुई है आराजी खसरा नं0 1653 में जो डी पी स्थापित है उससे असल अप्रार्थी सं0 2 व 3 अप्रार्थी सं0 1 को उसकी आराजी खसरा सं0 1608 मे कनैक्शन देना चाहते है। जबकि प्रार्थी ने बोरिंग कर रखी है। अप्रार्थी ने तरफ दक्षिण I मे बोरिंग कर रखी है उसे तरफ दक्षिण दिशा मे से विधुत सम्बंध लेने मे सुविधा होगी व डोल पर से पोल आ सकते है जिसमे किसी को कोई ऐतराज / आपत्ती नही है असल अप्रार्थीगन स0 2, 3 सर्वे मिन प्रार्थी के पीछे से किया गया। जबकि मिन प्रार्थी ने अपनी विवादित आराजी मे कृषि कार्य के लिये पशुऔ के लिये मकान व चारा भरने के लिये बोंगा वगैरा बना रखा है मिन प्रार्थी ने इस सम्बन्ध मे एक नक्शा पेश किया है। जिसेमें अप्रार्थी को कनेक्शन लेने का पीले रंग से दर्शाया है। पीले रंग के स्थान से कनेक्शन से कोई आपति नहीं होगी। यदि इसके अलावा कहीं से से 11 हजार की विधुत लाईन खींचकर अप्रार्थी सं0 1 को कनैक्शन जारी किया गया तो मिन प्रार्थी व तर0 प्रति0 को व आमजन कोई भी हादसा का शिकार हो सकता है। जान माल की हानि हो सकती है। दिनांक 11.10.2015 को असल अप्रार्थीगणे ने पोल ले जाकर रख दिये और धमकियां दी कि तुम्हारी बोरिंग के उपर से विवादित आराजियात के बीचों बीच 11 हजार की विद्युत लाईन खींचेंगे और कनैक्शन जारी करेंगें। यदि अप्रार्थीगण अपने इस नापाक इरादों में कामयाब हो गये तो मिन प्रार्थी को अपूरणीय क्षति होगी जिसकी पूर्ति किसी भी सूरत में रुपयों में नहीं आंकी जा सकेगी। इसलिये मिन प्रार्थी असल अप्रार्थी को जरिये हुक्मईम्तनाई चन्रोजा से पांबंद करवाने का अधिकारी है। सुविधा का संतुलन व नापूर्ति होने वाली क्षति बहक मिन प्रार्थी हैं। अतः प्रार्थनापत्र पेश कर निवेदन है कि असल अप्रार्थीगण को जरिये हुक्मईम्तनाई चन्दरोजा से पाबन्द फरमाया जावे कि वो विवादित आराजियात हाल खसरा नम्बरान 1609/1/1–13, 1653/2–05 बीघा वाके ग्राम जौडिया तह. कोटकासिम जिला अलवर (राज.) के बीचों बीच में से अप्रार्थीगण सं. 2 व 3 , अप्रार्थी सं. 1 को उसकी आराजी खसरा नम्बर 1608 में कृषि कनैक्शन 11 हजार की लाईन खींचकर नहीं करे, ना ही पोल गाडे, ना ही प्रार्थी व तर. प्रति. के कब्जा काश्त में मजाहमत व मदाखलत पैदा करे, ना जबरन बेदखल करे, ना कब्जा करे, मौका की यथास्थिति कायम रखे।

उप खण्ड अधिकारी
कोटकासिम (अलवर)

Scanned by CamScanner

अप्रार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने अपनी बहस में बताया किया प्रार्थनापत्र में प्रार्थी ने गलत तथ्य दर्ज कर झूंठा वादपत्र व झूंठा शपथपत्र एवं दस्तावेजात पेश किये हैं जिनसे प्रार्थी का केस किसी भी सूरत मे प्राइमाफेसाई आयद व साबित नही होता है। जब मिन अप्रार्थी को विधुत सम्बंध दिया जा रहा था व पोल गाडकर तार खींचे जा रहे थे तब कोई फसल काश्त की हुई नहीं थी। डी. पी. से विद्युत सम्बन्ध देने का अप्रार्थी सं. 2 को अधिकार है। पहले जो सर्वे की थी। उसी अनुसार पेाल गाडे जारहे हैं व लाइन खींची जा रही है प्रार्थी का कोई विद्युत सम्बन्ध व बोरिंग नहीं हैं बोरिंग के उपर से कोई विद्युत लाईन नहीं खींची जानी है। मिन अप्रार्थी के खसरा सं. 1608 में स्थित बोरिंग पर तरफ दक्षिण में कई लोंगों के आवासीय मकान होने से लाइन खडी करके विद्युत सम्बन्ध किया जाना सम्भव नहीं है। रिहायश में से लाईन खेंचने से किसी हादसे से जन–धन की हानि होने का पूरा पूरा अदेंशा है। प्रार्थी की आराजी उत्तर – दक्षिण लम्बाई में है तथा पूर्व – पश्चिम चौडाई है पोल जो खडे किये गये हैं वो पूर्व से पश्चिम को खडे किये गये हैं। प्रार्थी के खेत मे कोई पोल भी खडा नही किया गया है सर्वे रिपोर्ट का नक्शा व मौके की स्थिति का नक्शा जवाबदावा के साथ पेश किया है। मौके पर पशुओं के लिये मकान व चारा भरने के लिये कोई बोगा नहीं है। अलबत्ता रिहायशी पक्का मकान अवश्य है जो खडे किये गये पोलो से कम से कम 60 फुट की दूरी पर है। ना तो बोरिंग के उपर से और ना ही प्रार्थी की आराजियात के बीचों–बीच से 11 हजार के. वी. की लाईन खींची जानी है। प्रार्थी द्वारा मिथ्या व मनगढन्त तथ्य दर्ज किये गये हैं। प्रस्तावित विधुत लाईन से प्रार्थी व तर0 प्रतिवादीगन को किसी भी प्रकार से क्षति होने का अंदेशा नही है । प्रार्थी का प्रार्थनापत्र काबिल खारिज है सुविधा का सुंतुलन व नापूर्ति होने वाली क्षति बहक मिन अप्रार्थी है। प्रस्तावित विधुत लाईन से प्रार्थी या तर0 प्रतिवादीगन या अन्य किसी को भी कोई हानि नही होती है बल्कि मिन अप्रार्थी को असुविधा होगी । विधुत सम्बंध जारी होने में हो रही देरी से मिन अप्रार्थी को भारी नुकसान हो रहा है । मिन अप्रार्थी काश्तकारी पर निर्भर आदमी है। यदि सिंचाई करके समय पर बिजाई नहीं कर पाया तो परिवार के भूखे मरने की नौबत आ जायेगी। अतः जबाब प्रार्थनापत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थी का प्रार्थनापत्र मय हर्जा– खर्चा खारिज फरमाया जावे।

मेरे द्वारा उभय पक्षकारान के विद्वान अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया गया व पत्रावली में पेश किये दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। दस्तावेजात, जवाब, व मौका नक्शा पेश शुदा से प्रार्थी के खेत में कोई पोल नहीं गाड़ा गया है। रही बात तारों की तो वह तो आसमानी रुप से ही खेतों में गुजरते है। आसमानी तारों के खींचने से प्रार्थी की आराजी पर कोई अपूरणी क्षति होना प्रतीत नहीं है। विद्युत कनेक्शन दिये जाने के सम्बन्ध में दावा दायरी से पूर्व

उप खण्ड अधिकारी
लक्ष्मणगढ़ (सीकर)

Scanned by CamScanner

ही सर्वे डिमान्ड नोटिस आदि की कार्यवाही हो चुकी हैं। पोल भी गाड़े जा चुके हैं। इससे प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थी के हक में साबित नहीं है। अब तार खींच कर कनेक्शन होना है। कनेक्शन नहीं किया गया तो अप्रार्थी 1 को अपूरणीय क्षति होगी ना कि प्रार्थी को। इसलिये सुविधा का सन्तुलन भी प्रार्थी के हक में नही है। क्योंकि विद्युत कनेक्शन से अप्रार्थी के खेत में सिंचाई की जानी है । इस स्थिति में प्रार्थी का प्रार्थनापत्र काबिल खारिज है।

आदेश

प्रार्थी का प्रार्थनापत्र अंतर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, आदेश 39 नियम 1 व 2 व सपठित धारा 151 जाप्ता दीवानी बाबत विवादित आराजी हाल खसरा नम्बरान 1609/1/1–13, 1653/2–05 बीघा वाके ग्राम जौडिया तह. कोटकासिम जिला अलवर (राज.) पर से विद्युत लाईन ना डालने के सम्बन्ध में दिनांक 12.10.2015 को जारी स्थगन आदेश को खारिज किया जाता है। पत्रावली निर्णय शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफतर की जावे।

निर्णय आज दिनांक 17.12.15 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(बलवन्त सिंह लिम्बा)
उप खण्ड अधिकारी
कोटकासिम (अलवर) राज०

Scanned by CamScanner